## ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

### प्रकाशन नोटिस ओ0ए0 संख्या 405/2023

**ऋण वसूली एवं बैंक करप्सी अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित नियम 5 के उप नियम (2ए) समय–समय पर निर्देश ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने हेतु**

**डायरी संख्या 295/2024** **दिनांक: 15.04.2024**

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम गुरू कृपा इंटरप्राइजेज एवं अन्य**

**सेवा में,**

1. गुरू कृपा इंटरप्राइजेज प्रो0 श्री कनिष्क कुण्ड जैन, पता दारा कोटला बैरून, दर आबादी बगलामुखी धाम कॉलोनी, सकलपुरी रोड, सहारनपुर, उ0प्र0।
2. श्री कनिष्क कुण्ड जैन पुत्र जितेन्द्र जैन, निवासी: राघवपुरम कॉलोनी, भूतेश्वर मंडी रोड, सहारनपुर, उ0प्र0– 247001
3. श्रीमती मोनिका जैन पत्नी श्री कनिष्क कुण्ड जैन, निवासी: राघवपुरम कॉलोनी, भूतेश्वर मंडी रोड, सहारनपुर, उ0प्र0– 247001

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध **रू. 50,78,435.60/–** की वसूली हेतु **ओ0ए0 सं0 405/2023** संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं बैंक करप्सी अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन/नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **05.04.2024** को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सहमत है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 20.05.2024 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेन्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आप कारण बताये कि ओ0ए0 में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके अधिकृत एजेंट या वकील के माध्यम से काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

**दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के दिन न्यायाधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।**

**ट्रिब्युनल के आदेशानुसार**
**रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून**

---

## कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

**जब कि,**

**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **योगेश सलूजा और बरखा सलूजा** को **22.12.2023** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLGRG00223482** की राशि **रू.69,74,097.36 (रूपए उनहत्तर लाख चौहत्तर हजार सत्तानवे और छत्तीस पैसे मात्र)** और **12.12.2023** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **18.04.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.69,74,097.36 (रूपए उनहत्तर लाख चौहत्तर हजार सत्तानवे और छत्तीस पैसे मात्र) 12.12.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

"सुपरटेक हिल टाउन" से पहचाने जानेवाली आवासीय कॉलोनी/परियोजना में टावर टी-7 में पाँचवीं मंजिल पर, यूनिट नं. 504, जिसका क्षेत्र 1200 स्क्वे. फीट, एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, रेसिडेंशियल प्लॉटिड कॉलोनी पर स्थित, सेक्टर 2, सोहना गुड़गाँव-122103, हरियाणा।

**सही/-**
**प्राधिकृत अधिकारी**
**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

**दिनांक : 18.04.2024**
**स्थान : गुड़गाँव**

---

प्रपत्र सं. 3 [विनियम–15 (1) (क) /16 (3) देखें]

## ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

**वाद सं. : ओ.ए./107/2024** **ईएक्सएच. नंबर : 22459**

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया)नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथपठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4)के तहत सम्मन**

**एचडीएफसी बैंक बनाम एम्पोरियो सिलेक्ट सोर्सिंग प्रा. लि.**

**सेवा में,** (1) एम्पोरियो सिलेक्ट सोर्सिंग प्रा. लि., पता एन14/29, एफएफ–2, डीएलएफ सिटी, फेज–।।, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, गुरुग्राम, हरियाणा (2) अनिल चोकरा, एन–14/29 बी, एफएफ–2, डीएलएफ फेज–।।, निकट नेस्ले बिल्डिंग, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, अम्बाला, हरियाणा–122002 (3) अनुज चोकरा, एन–14/29 बी, एफएफ–2, डीएलएफ फेज–।।, निकट नेस्ले बिल्डिंग, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, अम्बाला, हरियाणा–122002 (4) स्नेह चोकरा, एन–14/29 बी, एफएफ–2, डीएलएफ फेज–।।, सिकंदरपुर घोस्ट (68), गुरुग्राम, हरियाणा–122002, अम्बाला, हरियाणा–122002 (5) मोनीश सैनी पुत्र रतन चंद सैनी, पता : एफ–303, सोम विहार, आरके पुरम, नई दिल्ली–110022

**सम्मन**

जबकि, ओए/107/2024 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **09–04–2024** को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण **रू. 2,02,40,428.22/–** की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियां सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :–**i**) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नही की जाए ; **ii**) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें, **iii**) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है; **iv**) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे; **v**) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा **दिनांक 06–06–2024 को पूर्वा. 10.30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

**मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 15–04–2024 को दिया गया।**

**सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

---

## कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

**जब कि,**

**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अर्थ गौरव शर्मा और अल्पना शर्मा** को **18.12.2023** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDCP00285866** की राशि **रू.63,30,314.84 (रूपए तिरसठ लाख तीस हजार तीन सौ चौदह और चौरासी पैसे मात्र)** और **13.12.2023** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **18.04.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.63,30,314.84 (रूपए तिरसठ लाख तीस हजार तीन सौ चौदह और चौरासी पैसे मात्र) 13.12.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

सुपरटेक हिल टाउन से पहचाना जानेवाले प्रोजेक्ट में ऑफिसर्स एन्क्लेव, तीसरी मंजिल पर फ्लैट नं. सी4सी जिसका सुपर क्षेत्र 1375 स्क्वे. फीट, टावर सी4, सेक्टर-2 में स्थित, सोहना रोड, गुरुग्राम - 122011, हरियाणा।

**सही/-**
**प्राधिकृत अधिकारी**
**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

**दिनांक : 18.04.2024**
**स्थान : गुरुग्राम**

---

## विक्री सूचना

### कार्गो प्लानर्स लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक: सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद, परिसमापक का पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048, ईमेल: assetsale1@aaainsolvency.in, deepika.bhugra@aaainsolvency.com, मोबाइल: 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/श्री राज कुमार)

**ई-नीलामी**

दिवालिया एवं ऋण अशोधन संहिता, 2016 के अधीन जारी प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की बिक्री

**ई-नीलामी की तारीख एवं समय:** 20.05.2024 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

**प्रत्याशित बोलीदाताओं द्वारा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख:**- 08.05.2024

**ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख:** 16.05.2024 को अपराह्न 3.00 बजे तक

आईबीबीआई (परिमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 32(ई) के साथ पठित विनियम 32ए के मद्देनजर जारी प्रतिष्ठान के रूप में कार्गो प्लानर्स लिमिटेड (परिसमापन में) की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म यानी मैसर्स नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड (एनईएसएल), जिसकी वेबसाइट: https://nbid.nesl.co.in/app/login है, के जरिए बिक्री संपादित की जाएगी। कार्गो प्लानर्स लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय फ्रेट फॉर्वर्डिंग एजेंटों के रूप में सम्पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता, समाधान, सेवाएं एवं कार्य उपलब्ध कराती है।

| सम्पत्ति | ब्लॉक | आरक्षित मूल्य | ईएमडी रकम | वृद्धि मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| आईबीबीआई (परिमापन प्रक्रिया) विनियमों के विनियम 32(ई) के साथ पठित विनियम 32ए के मद्देनजर निगमित कर्जदार एक जारी प्रतिष्ठान है<br>आईबीबीआई (परिमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 32ए के अनुसार एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में निगमित कर्जदार की सम्पूर्ण सम्पत्ति* | ए | 50 लाख | 5 लाख | 1 लाख |

**ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:**

1. अनुमोदित सेवा प्रदाता नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड (एनईएसएल) के जरिए ई-नीलामी **"जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", "वहां जो कुछ भी है"** के आधार पर संचालित की जाएगी।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आमंत्रण का आशय प्रत्याशित बोलीदाताओं को आमंत्रित करना है तथा बिक्री को क्रियान्वित करने के लिए परिसमापक अथवा कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व का सृजन करना नहीं है। परिसमापक के पास एससीसी के साथ परामर्श कर संबंधित कारणों का उल्लेख कर प्रक्रिया को रद्द अथवा संशोधित करने तथा/अथवा किसी भी इच्छुक पार्टी/भावी निवेशक/बोलीदाता को स्वीकार नहीं करने तथा/अथवा अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है।
3. बिक्री सूचना आईबीसी 2016 के साथ पठित आईबीबीआई (परिमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 32(ई) तथा 32ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। कथित बिक्री एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में बिक्री के क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु माननीय एनसीएलटी से अंतिम आदेश का विषय वस्तु है (इसके लिए कृपया विस्तृत ई-नीलामी दस्तावेज देखें)।
4. ईएमडी जमा करने तथा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले सभी नियम एवं शर्तें अनिवार्य रूप से एएए इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी की वेबसाइट यानी-https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/cargo-planners-limited/ तथा ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज का अवलोकन करें।

**हस्ता/- दीपिका भुगरा प्रसाद**

कॉर्गो प्लानर्स लिमिटेड के मामले में परिसमापक आईबीबीआई (पंजीकरण सं.-IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186), पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048,
**ईमेल:** assetsale1@aaainsolvency.in, deepika.bhugra@aaainsolvency.com
**सम्पर्क व्यक्ति:** श्री पुनीत सचदेवा/श्री राज कुमार: +91-8800865284

**तारीख:** 24.04.2024, **स्थान:** दिल्ली

---

OMKARA
ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

## ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

**सीआईएन :** U67100TZ2014PTC020363
**निगमित कार्यालय :** कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028,
**ईमेल :** kalpesh.ojha@omkaraarc.com, **मोबाइल :** +91 9769825323

[परिशिष्ट - IV-ए] [नियम 8(1), 8(6) का प्रावधान देखें]

### अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

### ई–नीलामी की तिथि : 10 मई 2024

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् **ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल)**, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमीकृत कंपनी है तथा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) ("सरफॉएसि अधिनियम 2002") की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है और जिसका **सीआईएन नं:** U67100TZ2014PTC020363 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्स., तिरुपुर 641607 में एवं निगमित कार्यालय कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028 में है, जो **ओमकारा पीएस–26/2021–22** ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत है, के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्ति (प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण कर लिया है। इसने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में विदित) की ओर से रेखांकितकारी प्रतिभूतियों के साथ उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) की संपूर्ण बकाया राशियों के ब्याज एवं समस्त अधिकारों, स्वामित्वों का, एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 30–09–2021 के द्वारा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, मेमो नं. 10978 ऑफ 2022 **दिनांकित 17–05–2023** के माध्यम से अपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का **11–01–2024** को **भौतिक अधिग्रहण** प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है तथा उक्त परिसंपत्ति(यों) को निम्नांकित तिथि पर **"जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं"** तथा **"वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जाएगा, जो कि निम्न उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकित बकाया राशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य विवरण निम्नानुसार उल्लिखित है :

| उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता का नाम | अचल संपत्ति का विवरण | बकाया देयराशियां रु. में | मांग सूचना की तिथि | आरक्षित मूल्य (रु.) | निरीक्षण तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | अधिग्रहण की तिथि | धराज (रु.) | |
| 1. सोनू शर्मा (उधारकर्ता / बंधककर्ता)<br>2. मंगेश शर्मा (सह–उधारकर्ता) | नगर निगम सं. 18/86 धारक मकान जो मैठाण कोतवाली वार्ड तहसील एवं जनपद आगरा – 282003 में स्थित है, जिसका अधिमापन 116.12 वर्ग मीटर है, जो निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– 10 फुट लेन, पश्चिम– मकान सं. 18/106 राम किशन श्रीवास्तव, उत्तर– मकान सं. 18/85 छोटे लाल वर्मा, दक्षिण– मकान नं. 18/87 जयंती सरन शर्मा। | रु. 19,53,173/– (रुपये उन्नीस लाख तिरेपन हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) 23–06–2021 के अनुसार साथ में आज की तिथि तक राशि पर संविदागत ब्याज एवं अन्य शुल्क | 23-06-2021 by MHFL<br>11-01-2024 | 10,00,000/-<br>1,00,000/- | 06-05-2024 2:00 P.M to 4:00 P.M |

**धराज के भुगतान तथा बोली प्रपत्र प्रस्तुति की अंतिम तिथि : 09–05–2024 को सायं 6.00 बजे तक**

**नीलामी तिथि एवं समय :** 10–05–2024 को 03.00 से 05.00 बजे — **वृद्धिशील मूल्य :** रु. 10,000/–

1. इच्छुक बोलीदातागण जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता **"मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"**, दूरभाष हेल्पलाइन : +91–7291981124 / 25 / 26, हेल्पलाइन ई–मेल **आईडी : support@bankeauctions.com** या श्री भाविक पंड्या, मोबाइल : 88666 82937, ईमेल : **maharashtra@c1india.com** से संपर्क कर सकते हैं।
2. संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न अथवा अनुसूचीगत संपत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित **प्राधिकृत अधिकारी– कल्पेश ओझा (मोबाइल 9769825323), ई–मेल : kalpesh.ojha@omkaraarc.com से अथवा उपरोक्त वर्णित पते पर कार्यदिवसों के दौरान कार्यालय समयावधि में संपर्क कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक को देखें।**

**सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना**

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) /सह–उधारकर्ता(ओं) हेतु, लागत एवं व्ययों के साथ यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करके उनके द्वारा यदि वे इच्छुक हैं परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने की सलाह के साथ उपरोक्त संदर्भित तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में उन्हें सूचित करते हुये पंद्रह दिनों (15) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) के अंतर्गत निर्धारितानुसार किसी भी माध्यम से बेचा जाना है।

**दिनांक : 22–04–2024** **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
**स्थान : मुंबई** **(ओमकारा पीएस26/2021–22 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)**

---

IndiaShelter
Home Loans

## इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय :** भूखंड–15, 6ठवां तल, सेक्टर–44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, **शाखा कार्यालय :** दुकान नंबर 67बी और 68, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 277(पूर्व), टैगोर नगर, डीसीएम के समीप, अजमेर रोड, जयपुर–302021, **राजस्थान, शाखा कार्यालय :** भूतल, गिल भवन, रोड नंबर 3, स्काईलाइन हॉस्पिटल के सम्मुख, रेलवे क्वार्टर्स, झुनझुनु, राजस्थान 333001

### सार्वजनिक सूचना - अचल संपत्ति के विक्रयार्थ नीलामी

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति/यों के विक्रयार्थ सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति/यां, जिनका अधिग्रहण आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 09 मई 2024 (नीलामी की तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं एवं गारंटरों की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज राशि से युक्त मोहरबंद लिफाफा, आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 08 मई 2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा/निगमित कार्यालय : भूखंड–15, 6ठवां तल, सेक्टर–44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, शाखा कार्यालय : दुकान नंबर 67बी और 68, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 277(पूर्व), टैगोर नगर, डीसीएम के समीप, अजमेर रोड, जयपुर–302021, राजस्थान, शाखा कार्यालय : भूतल, गिल भवन, रोड नंबर 3, स्काईलाइन हॉस्पिटल के सम्मुख, रेलवे क्वार्टर्स, झुनझुनु, राजस्थान 333001 के पास प्रस्तुत/जमा करना होगा।

| ऋण खाता सं. / एपी नंबर | उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/ विधिक प्रतिनिधि के नाम | मांग सूचना की तिथि / तिथि के अनुसार राशि | अधिग्रहण का प्रकार (रचनात्मक / भौतिक के अंतर्गत) | आरक्षित मूल्य | धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| LAP500000585 | श्री संगीता देवी, श्री धर्मवीर और श्री बिहारी लाई, श्री सुरेंद्र | मांग सूचना दिनांक– 12–06–2021<br>रु. 492758.8/– (रुपये चार लाख बयानबे हजार सात सौ अट्ठावन एवं अस्सी पैसे मात्र) 30.06.2021 के अनुसार देय है, साथ में 01–07–2021 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। | भौतिक अधिग्रहण | रु. 4,96,000/– (रुपये चार लाख छियानबे हजार मात्र) | रु. 49,600/– (रुपये उनचास हजार छह सौ मात्र) |
| **संपत्ति का विवरण :** संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका पट्टा संख्या 75 है, गाव– खुडाना, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनु (राजस्थान) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 203.67 वर्ग गज है। इसकी सीमा इस प्रकार है:– पूर्व–आम रास्ता, पश्चिम–आम रास्ता और चौक , उत्तर– आम रास्ता और चौक, दक्षिण– संत कुमार का घर | | | | | |
| HL3OMILONS00 0005013968/ AP-10029481 | सुश्री काजोल जैन पुत्री श्री अशोक कुमार जैन | मांग सूचना 26.12.2023,<br>रु. 21,56,267/– (रुपये इक्कीस लाख छप्पन हजार दो सौ सड़सठ मात्र) 27.12.2023 के अनुसार देय है, साथ मे 28–12–2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। | भौतिक अधिग्रहण | रु. 14,05,000/– (रुपये चौदह लाख पांच हजार मात्र) | रु. 1,40,500/– (रुपये एक लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र) |
| **संपत्ति का विवरण :** संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो औरिक प्राइम सुइट्स फ्लैट नंबर 604, 6वीं मंजिल, ए–ब्लॉक, क्षेत्रफल 1224 वर्ग फुट, खसरा नंबर 994/1, 1001/1, 1002, ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1440.45 वर्ग मीटर है। सीमा : पूर्व– अन्य की भूमि, पश्चिम– अन्य की भूमि, उत्तर– सड़क 100 फुट, दक्षिण– अन्य की भूमि। | | | | | |
| HL3OCHLONS0 00005012536/ AP-10030619 | श्री/श्रीमती सुनीता कंवर राठौड़<br>श्री/श्रीमती राजपाल सिंह नरूका | मांग सूचना 17.11.2023<br>रु. 2565497/– (रुपये पच्चीस लाख पैंसठ हजार चार सौ सत्तानबे मात्र) 19.11.2023 के अनुसार देय है, साथ में 20.11.2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। | भौतिक अधिग्रहण | रु. 14,05,000/– (रुपये चौदह लाख पांच हजार मात्र) | रु. 1,40,500/– (रुपये एक लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र) |
| **संपत्ति का विवरण :** संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, एफ नंबर 104 प्रथम तल ब्लॉक–ए, ऑरिक प्राइम सूट, जयसिंहपुरा, जयपुर राजस्थान में स्थित है। सीमा:– पूर्व: अन्य की भूमि, पश्चिम: अन्य की भूमि, उत्तर: सड़क 100 फुट, दक्षिण: अन्य की भूमि। | | | | | |
| HL3OMILONS00 0005029469/ AP-10053900 | श्री/श्रीमती ललिता देवी<br>श्री/श्रीमती सुंदर लाल सैनी | मांग सूचना दिनांक – 22–09–2022<br>रु. 8,26,433.79/– (रुपये आठ लाख छब्बीस हजार चार सौ तैंतीस एवं उन्यासी पैसे मात्र) 23.09.2022 के अनुसार देय है, साथ में 23–09–2022 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। | भौतिक अधिग्रहण | रु. 6,38,000/– (रुपये छह लाख अड़तीस हजार मात्र) | रु. 63,800/– (रुपये तिरेसठ हजार आठ सौ मात्र) |
| **संपत्ति का विवरण :** संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका फ्लैट नंबर एफ–2, पहली मंजिल प्लॉट नंबर 20 और 21, स्कीम दिव्या एन्क्लेव–1, ग्राम लालचंदपुरा, निवारु रोड, जयपुर में स्थित है, अधिमापन 473.80 वर्ग फुट। सीमा :– पूर्व– पार्क, उत्तर: प्लॉट नंबर 21, पश्चिम: सड़क 30 फुट, दक्षिण: प्लॉट नंबर 19 | | | | | |
| HL3OCHLONS00 0005011640/ AP-10029847 | श्रीमती विमला कंवर एवं श्री शिवदीप सिंह भोकावत | मांग सूचना 18.01.2022<br>रु. 12,20,134/– (रुपये बारह लाख बीस हजार एक सौ चौंतीस मात्र) 31.01.2022 के अनुसार देय है, साथ में 01–02–2022 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। | भौतिक अधिग्रहण | रु. 7,06,000/– (रुपये सात लाख छह हजार मात्र) | रु. 70,600/– (रुपये सत्तर हजार छह सौ मात्र) |
| **संपत्ति का विवरण :** संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका एफ नंबर 606 है जो छठवी मंजिल पर ब्लॉक–ए, ऑरिक प्राइम सुइट्स जयसिंहपुरा, भांकरोटा जयपुर राजस्थान 302012 में स्थित है, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है: पूर्व– अन्य भूमि, पश्चिम– अन्य भूमि, उत्तर– सड़क 100 फुट, दक्षिण– अन्य भूमि। | | | | | |

**नियम एवं शर्तें :**

1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा विक्रय के नियम एवं शर्तें, शाखा/निगमित कार्यालय : शाखा कार्यालय : दुकान नंबर 67बी और 68, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 277(पूर्व), टैगोर नगर, डीसीएम के समीप, अजमेर रोड, जयपुर–302021, राजस्थान, शाखा कार्यालय : भूतल, गिल भवन, रोड नंबर 3, स्काईलाइन हॉस्पिटल के सम्मुख, रेलवे क्वार्टर्स, झुनझुनु, राजस्थान 333001 से किसी भी कार्यदिवस पर 10.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य उपलब्ध होंगे।
2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
3) उपरोक्त संपत्ति / यों के क्रयार्थ जमा / प्रस्तुत की गई समस्त बोलियां / निविदाओं के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में आहरित दिल्ली में भुगतानयोग्य धराज के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाताओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी।
4) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि यह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा है।
5) प्रत्याशित बोलीदातागण संपत्ति का अवलोकन पूर्व नियुक्ति के साथ 07/05/2024 को 11 से लेकर के 5 बजे के मध्य कर सकते हैं।
6) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को ऐसी घोषणा के बाद तत्काल क्रय राशि/सर्वोच्च बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा।
7) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वें दिवस के उपरांत आनेवाले प्रथम कार्यालय दिवस पर करना होगा।
8) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में धराज सहित अन्य जमा राशियों को इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा।
9) उपरोक्त विक्रय, आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगा। इच्छुक पक्षकारों से विनती है कि वे संबंधित विभागों/कार्यालयों के सांविधानिक एवं अन्य प्रदेयताओं जैसे विक्रय/संपत्ति कर, विद्युत बकायों, और सोसाइटी के बकायों का सत्यापन/अभिपुष्टि कर लें। कंपनी संपत्ति पर बकाया किसी भी देयक के भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करती।
10) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस, यदि कोई, लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान को कंपनी के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालान की प्रति कंपनी के पास जमा/प्रस्तुत करनी होगी।
11) विक्रय, पूर्णतः इस विज्ञापन में तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के अधीन है।
12) सफल बोलीदाता/क्रेता को विधि–व्यवस्था के अनुरूप प्रयोज्यानुसार विक्रय प्रमाणपत्र को पंजीकृत कराने के लिये नियत समस्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्कों एवं आकस्मिक व्ययों का भुगतान वहन करना होगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताये बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा निविदा को स्थगित/निरस्त/समाप्त करने तथा कोई पूर्व सूचना दिये बिना ही इस विक्रय के किसी भी नियम व शर्त को संशोधित करने का भी पूर्णाधिकार है।
14) इच्छुक बोलीदातागण श्री देवेंद्र सिंह से मोबाइल नं. +91 –8560017658 पर और श्री विनय से मोबाइल नंबर +91 –7988605030 पर कार्यालय समय (10.00 से 06.00 बजे) के दौरान संपर्क साध सकते हैं।

### उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता हेतु 15 दिवसीय विक्रय सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार राशि का, तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ, भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष बकाया देयराशियों, यदि कोई शेष बचती है, की वसूली आप से ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 23–04–2024, स्थान : राजस्थान — प्राधिकृत अधिकारी (कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

---

## DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

(Govt. of India, Ministry of Finance, Banking Division)
600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007

**E-AUCTION SALE NOTICE**

### E-AUCTION SALE NOTICE

### DRC No. 137/2022

### Central Bank of India Vs M/s K.P. Engineering & Others

The under mentioned immovable property will be sold "As it is where it is and whatever it is Basis and subject to statutory dues, revenues and other encumbrances as Law/Rule" by online E-auction" through the website https://drt.auctiontiger.net" on 14.05.2024, recovery fo dues, interest and costs as follows:

### Date and time of auction: 14.05.2024 between 11.00 am to 12.00 pm (with extensions of 5 minutes duration)

**Description of Property**

| Case no title and amount date | Description of property to be sold within the name of co-owners. The property belongs to the defaulter and any other person as co-owners | Reserve Price | Earnest Money 10% |
|---|---|---|---|
| **DRC No. 137/2022 (In OA No. 286/2021) Rs. 2354559/- (Rupees Twenty three lacs fifty four thousand five hundred fifty nine only) further till the dues is fully liquidated and costs. Current Outstanding as on 27.02.2024 is Rs. 3720945/-** | Residential land and building no. 1408 constructed on plot No. B part of Khasra No. 3706, admeasuring 73.98 sq. mtr. situated at Ashiyana Colony near Kifi Maszid District-Meerut: Owned by Sri Khalil Ahmad Saifi S/o Mohd Sharif Ahmed Saifi the JD No. 2 and Bounded as below: As per title deed the immovable mortgaged property i.e. Residential land and building no. 1408 constructed on Plot No. B part of Khasra No. 3706, admeasuring 73.98 sq. mtr situated at Ashiyana Colony near Kifi Maszid District- Meerut: Owned by Sri Khalil Ahmad Saifi S/o Mohd Sharif Ahmed Saifi the JD No. 2. Bounded as below: East: House of Munna Qureshi, West: Part of Plot No. A, North: 12ft wide Road, South: House of Harimuddin.<br>At present the specification of the property are as under: Residential land and building No. 1408 constructed on Plot No. B Part of Khasra No. 3706, admeasuring 73.98 sq. mtr situated at Ashiyana Colony near Kifi Maszid District- Meerut: Owned by Sri Khalil Ahmad Saifi S/o Mohd Sharif Ahmed Saifi the JD No. 2 and bounded as below:- East: House of Shamshad, West: Factory of Mr. Amir, North: 12ft wide Road, South: House ofHarimuddin. | **Rs. 19,60,000/- (Rupees Nineteen Lacs Sixty thousand only)** | **Rs. 1,96,000/- (One Lac Nintey Sixty thousand Only)** |

The Property is being sold on 'as is where is basis whatever there is basis' and subject to the condition in the second schedule of Income Tax Act, 1961, read with section 25 and 29 of Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 as amended and Rules there under and is subject to public charges, revenue and other encumbrance as per rules. Intending bidders are requested to make physical inspection of the immovable property. The parties interested may inspect the property between 11:00 to 4:00 PM on 01.05.2024 at the site in consultation with CH Bank i.e. **Mr. Surendta Kumar Meena, Branch Manager, Central Bank of India Branch Shastri Nagar District Meerut (U.P.)- 250002, Mob. No. 8303713821).**

The intending bidder are advised to satisfy themselves from the appropriate authorities about the right/title/duty and dues payable to them in respect of the immovable property in question and later on no objection of any kind shall be entertained in this regard by the Tribunal. The auction sale will be "online e-auctioning" through website **https://drt.auctiontiger.net.**

Any person desirous of participating in the online bidding process is required to have a valid digital signature certificate issued by the competent authority. It is the sole responsibility of the bidder to obtain the said digital signature certificate and a computer terminal/system with internet connection to enable him/her to participate in the bidding. Any issue with regard to Digital Signature Certificate and connectivity during the course of bidding online shall be the sole responsibility of the bidder and no claims in this regard shall be entertained.

Each bidder shall deposit earnest money (EMD) @ 10% of the Reserve Price in the form of Bank Draft payable to Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal, Lucknow and payable at Lucknow". The said Demand Draft along with duly filled-in E-Auction EMD form (Enclosed) should reach through speed post or by hand **Mr. Surendta Kumar Meena, Branch Manager Central Bank of India branch Shastri Nagar District Meerut (U.P.)- 250002, Mob. No. 8303713821)** on or before 07.05.2024 at 17:00 Hrs. positively (Auction Date 14.05.2024).

On receipt of EMD the prospective bidders shall receive their User ID/password through their E mail ID, which is mandatory for biding in above E-auction from the Service provider: M/s e-procurement Technologies Ltd. (absprocure) Ahmadabad., Mr. Ram Prasad Sharma, Contact No. 07940230805/806/813/815/816 and 822 or Phone No. 0522 2616619, 2629628, Mob. No. 8948136222, E-mail: support.@auctiontiger.net.

The bidder shall improve offer in multiple of 10,000/- (Ten Thousand Only). The person declared to be the successful bidder shall pay/deposit 25% (Twenty Five percent) of the amount of his purchase price (less EMD) Immediately by way of demand draft favouring "Recovery Officer, DRT Lucknown" by 17:00 Hrs on same day to **Mr. Surendta Kumar Meena, Branch Manager Central Bank of India Branch Shastri Nagar, District Meerut (U.P.)- 250002, Mob. No. 8303713821).**

That the full amount of purchase price along with poundage fee @2% upto Rs. 1000/- and 1% on balance amount of purchase money shall be paid/deposited by the purchaser by way of demand draft drawn favouring Recovery Officer, DRT, Lucknow before the 15th day from the date of sale of property exclusive such day of if the 15th day be a Sunday or other holiday then on the first working day after the 15th day. In case of default of payment within the period mentioned above the property shall be resold after the issue of a fresh Proclamation of sale. The deposit defraying the expenses of the sale may if the undersigned thinks fit be forfeited to the Government nad the defaulting purchaser shall forfeit all the claim to the property or to ay party the sum for which it may subsequently be sold.

The amount of EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded the bid amount by speed/post/registered post on their given address in the E-Auction EMD form as per the option given by them in their E-Auction EMD form. However, Mr. Surendta Kumar Meena, **Branch Manager Central Bank of India Branch Shastri Nagar District Meerut (U.P.)- 250002, Mob. No. 8303713821** may return the demand drafts to the unsuccessful bidder by hand upon its satisfaction to the genuineness of the unsuccessful bidder for which CH Bank shall be accountable. No interest shall be paid on EMD amount.

The highest bid will be subject to approval of the Recovery Officer. The Recovery Officer has the absolute right to acept or reject any bid or bids or to postpone or cancel the sale without assigning any reasons.

Total dues including interest as on 27.02.2024 plus cost in the account of defendants is Rs. 3720945/- plus interest and other charges.

Given under my hand and seal at Lucknow on this **12th day of April 2024.**

**Recovery officer-I**
**Debts Recovery Tribunal, Lucknow**

---

Markets,
Monday to Saturday

To book your copy,
sms reachbs
to 57575 or
email order@bsmail.in

Business Standard
50 Years of Insight

---

## DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

(Govt. of India, Ministry of Finance, Banking Division)
600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007

**E-AUCTION SALE NOTICE**

### E-AUCTION SALE NOTICE

### DRC No. 171/2022

### Central Bank of India Vs M/s I.S. Contractors & Others

The under mentioned immovable property will be sold "As it is where it is and whatever it is Basis and subject to statutory dues, revenues and other encumbrances as Law/Rule" by online E-auction" through the website https://drt.auctiontiger.net" on 15.05.2024, recovery fo dues, interest and costs as follows:

### Date and time of auction: 15.05.2024 between 11.00 am to 12.00 pm (with extensions of 5 minutes duration)

**Description of Property**

| Case no title and amount date | Description of property to be sold within the name of co-owners. The property belongs to the defaulter and any other person as co-owners | Reserve Price | Earnest Money 10% |
|---|---|---|---|
| **DRC No. 171/2022 (In OA No. 277/2021) Rs. 2167629 /- (Rupees Twenty one lacs sixty seven thousand six hundred twenty nine only) further till the dues is fully liquidated and costs. Current Outstanding as on 27.02.2024 is Rs. 3425573/-** | As per title deed the immovable mortgaged property i.e. House No. 341/2, situated at Gali No. 10 Zakir Hussain Colony admeasuring 57.69 Sq. Mtr, District Meerut. Owned by Shri Sarfaraz S/o Shri Islamuddin the JD No. 2. Bounded as below:- East- 14 Ft Wide Road, West- Plot of Owner, North- House of nawab, South- House of Abid. At present the specification of the property are as under:- East- 14 Ft Wide Road, West- Plot of Owner, North- House of nawab, South- House of Abid. | **Rs. 22,00,000/- (Rupees Twenty Two Lacs only)** | **Rs. 2,20,000/- (Two Lac Twenty thousand Only)** |

The property is being sold on "as is where is basis & whatever there is basis" and subject to the condition in the second schedule of the Income Tax Act, 1961 read with Sections 25 and 29 of Recovery of Debts due to Banks nd Financial Institution Act, 1993 as amended and rules there under and is subject to public charges, revenue and other encumbrance as per rules. Intending bidders are requested to make physical inspection of the immpovable property. The parties interested may inspect the property between 11:00 A.M. to 4:00 P.M. on 02.05.2024 at the site in consultation with CH Bank i.e. Mr. Surendra Kumar meena, Branch Manager Central Bank of India Branch, Shastri Nagar District Meerut (U.P.) PIN 250002 Mob. No. 8303713821

The intending bidders are advised to satisfy themselves from the appropriate authorities about the right/title/duly and dues payble to them in respect of the immovable property in question and later on no objection of any kind shall be entertained in this regard by the Tribunal.

The auction sale will be "online e-auctioning" through website https://drt.auctiontiger.net.

Any person desirous of participating in the bidding process is required to have a valid digital signature certificate issued by the competent authority. It is the sole responsibility of the bidder to obtain the said digital signature certificate and a computer terminal/system with internet connection to enable him/her to participate in the bidding. Any issue with regard to Digital Signature Certificate and connectivity during the course of bidding online shall be the sole responsibility of the bidder snd no claims in this regard shall be entertained.

Each bidder shall deposit earnest money (EMD) @10% of the Reserve Price in the form of Bank Draft payble to "Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal. Lucknow and payble at Lucknow". The said demand draft along with duly filled-in E-auction EMD form (Enclosed) should reach through speed post OR by hand to Mr. Surendra Kumar Meena, Branch Manger, Central Bank Of India, Shastri Nagar District Meerut (U.P.) PIN 250002 Mob. No. 8303713821on or before 08.05.2024 by 17.00 Hrs. positively (Auction date 15.05.2024).

On receipt of EMD prospective bidders shall receive their User ID/Password, through their E-mail Id, which is mandatory, for bidding in above E-auction from the Service Provider: M/s e-procurement Technologies Ltd.(absprocure)Ahmadabad, Mr. Ram Prasad Sharma, Contact No. 07940230805/806/813/815/816 and 822 or phone No. 0522 2616619, 2629628, Mob No. 8948136222, E-mail:support@auctiontiger.net.

The bidder shall increase offer in multiple of 10000/- (Ten thousand only). The person declared to be the successful bidder shall pay/deposit 25 (twenty five percent) of the amount of his purchase price (less EMD) immediately by way of demand draft favouring "Recovery Officer DRT, Lucknow" by 17.00 Hrs. on same day to Mr. Surendra Kumar meena, Branch Manager Central Bank of India Branch, Shastri Nagar District Meerut (U.P.) PIN 250002 Mob. No. 8303713821

That the full amount of purchase price along with poundage fee @ 2% upto Rs. 1000/- and 1% on balance amount of purchase money shall be paid/deposited by the purchaser by way of demand draft drawn favouring Recovery Officer, DRT, Lucknow before the 15th day from the date of sale of property exclusive such day of if the 15th day be a Sunday of other holiday then on the first working day after the 15th day. In case of default of payment within the period mentioned above the property shall be resold after the issue of a fresh proclamation of sale. The deposit defraying the expenses of the sale may if the undersigned thinks fit be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all the claim to the property or to any party the sum for which it may subsequently be sold.

The amount of EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded the bid amount by speed post/registered post on their given address in the E-Auction EMD form as per the option given by them in their E-Auction EMD Form. However, Mr. Surendra Kumar mrrna, Branch Manager Central Bank of India Branch, Shastri Nagar District Meerut (U.P.) PIN 250002 Mob. No. 8303713821) may return the demand drafts to the unsuccessful bidder by hand upon its satisfaction to the genuineness of the unsuccessful bidder for which CH Bank shall be accountable. No interest shall be paid on EMD amount.

The highest bid will be subject to approval of the Recovery Officer. The Recovery Officer has the absolute right to accept or reject any bid of bids or to postpone or cancel the sale without assigning any reasons.

Total dues including interest as on date 27.02.2024 plus cost in the accound of defendants is Rs. 34,25,573/- plus interest and other charges.

Given under my hand and seal at Lucknow on this 12th day of April 2024

**Recovery officer-I**
**Debts Recovery Tribunal, Lucknow**